

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, कोटा आगार

क्रमांक :—एफ / लेखा / मु.प्र. / कोटा / 2023 / 1173

दिनांक :— 15/03/23

निविदा — सूचना

नयापुरा बस रटैण्ड कोटा पर पब्लिक लीकल पार्किंग रटैण्ड हेतु सुलभ शौचालय के सामने दिवार के साहारे खाली रथान $100 \times 24 = 2400$ वर्गफीट लगभग को पार्किंग रटैण्ड हेतु (ठेके) लाइसेंसी नियुक्त किया जाना है।

क्र.सं	कार्य की प्रकृति	साईज	धरोहर राशि	अवधि	वार्षिक अनुमानित आय
1	पब्लिक लीकल पार्किंग रटैण्ड	$100 \times 24 = 2400$ वर्गफीट	35000	1 वर्ष	201600

निविदा फार्म निर्धारित राशि रूपये 200/- नकद जमा कराकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा फार्म के धरोहर राशि 35000 रूपये डी.डी. / बैंकर्स चैक रा.रा.प.प.निगम कोटा आगार के नाम जमा करवानी होगी। धरोहर राशि जमा कराये बिना निविदा मान्य नहीं होगी। इच्छुक व्यक्ति/संरक्षा अपने प्रताव दिनांक 29.03.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक लिफाफे में जमा करायेगे। जो उरी दिन दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी प्रकार का प्रताव या सभी प्रतावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण रूप से अधिकार होगा। निविदाकर्ता रथान की जांच अपने रत्तर पर कर लें। निविदा खुलने एंव आंदोलन के पश्चात् किसी भी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं होगी एंव जमा समरत राशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। जावेगा। किसी भी निविदा को निररत करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपरोक्त अनुमानित राशि केवल लाइसेंस फीस मात्र है इस पर GST अतिरिक्त देय होगा।

मुख्य प्रबन्धक
गो. गो. प.प. निगम, कोटा
मुख्य प्रबन्धक, कोटा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार निविदा पपत्र (क)

राजस्थान परिवहन निगम के नयापुरा बस रस्टेण्ड सुलभ शौचालय के सामने दिवार के सहारे पब्लिक वाहन पार्किंग रस्टेण्ड आंवटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है)

निविदा प्रपत्र संख्या एफ/मु.प्र./2023/1173
दिनांक:— 15/13/23

निविदा प्रपत्र की राशि 200/-रु
जमा रूपये/-
अक्षरे रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या
दिनांक:—

निविदा प्राप्त करने की दिनांक

निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक

निविदा खोलने की दिनांक

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पता :—
2. टेलिफोन नम्बर :—
3. टेलेक्स/फेक्स नम्बर :—
4. व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण :—
5. धरोहर राशि :—
6. धरोहर राशि का निगम कोष में जमा रसीद संख्या..... /ड्राफ्ट/बैकर्स चेक नम्बर दिनांक :—
7. देय लाइसेस शुल्क राशि रूपये राशि प्रतिमाह रूपये शब्दों में :—
8. निगम में पूर्व में पब्लिक पार्किंग रस्टेण्ड ठेका का आंवटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण
9. निविदादाता का बैंक अकाउन्ट किस बैंक में..... है, नम्बर सहित दर्शायें।
10. निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति..... का विवरण सत्यापित दर्शाये.....
11. अन्य विवरण

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

व्यवस्था का नाम—वाहन पार्किंग स्टैण्ड

(वित्तीय निविदा पपत्र) (ख)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नयापुरा बस स्टैण्ड कोटा सुलभ शौचालय के सामने दिवार के सहारे पब्लिक वाहन पार्किंग स्टैण्ड ठेका आंवटन हेतु हमारी दरे निम्नानुसार रहेगी।

क्र.स.	कार्य की प्रकृति	निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर
1	पब्लिक वाहन पार्किंग स्टैण्ड	16800 प्रतिमाह (जी.एस.टी. पृथक)	

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम—.....

पिता का नाम.....

पता.....

मोबाइल न.....

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

निविदा शर्ते (वर्ष 2023-24)

निविदा शुल्क— रूपये मात्र
निविदा दिनांक—
निविदा प्राप्ति समय.....
निविदा खोलने का समय.....

पार्किंग स्टेण्ड के आंवटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैं—

1. निगम परिसर में पार्किंग स्टेण्ड/खाली स्थान अरथाई लाइसेंस पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए दी जावेगी। 1 वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाइसेंसी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/संतोषजनक सेवायें रहने पर लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन पार्किंग स्टेण्ड की मासिक लाइसेंस फीस 50,000/- रूपये से कम है, उन पार्किंग स्टेण्डों का लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन पार्किंग स्टेण्ड के मासिक लाइसेंस फीस 50,000 रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन पार्किंग स्टेण्ड का लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व पुनः खुली निविदा आंमत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-निर्देशानुसार समय पर पार्किंग स्टेण्ड आंवटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञी की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही विना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए, निगम को पार्किंग स्टेण्ड खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाइसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
2. लाइसेंस पर पार्किंग स्टेण्ड/खाली स्थान लेने हेतु लाइसेंसी को 500 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक रसायन पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबंध करना होगा।
3. लाइसेंस पर दी गई पार्किंग स्टेण्ड पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाहन को खड़ा नहीं किया जावेगा।
 1. साइकिल
 2. मोटर साइकिल/स्कूटर/स्कूटी/मोपेड
 3. कार/जीप
 4. ऑटो
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि/-रूपये (अक्षरे रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/चैकर्स चैक/नगद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। लाइसेंस आवंटित होने पर लाइसेंसी को दस दिवस में तीन माह की लाइसेंस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैंकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एंव सुरक्षा

राशि बिना ब्याज के लाइसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस जारी होने के तीन दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर एंव सुरक्षा राशि जब्त कर लाइसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अक्षवा पुनः निविदा कर लाइसेंस आवंटन किया जा सकेगा।

5. निगम को अनुबंध समाप्ति दिनांक से पूर्व आंवटित पार्किंग स्टेण्ड/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाइसेंसी को 24 घंटे के अन्दर अपने स्वंय के खर्च पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एंव उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाइसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जोवगे एंव उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबंधक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाइसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाइसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आंवटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाइसेंस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एंव नये स्थान का लाइसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमंत्रित कर आंवटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायित्व के लाइसेंस समाप्त कर सकेगा।
6. लाइसेंसी मासिक लाईसेसी फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आंवटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेसी फीस जमा नहीं कराने अथवा लाईसेस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घंटे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने/वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घंटे में खाली कर कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देय होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा ले लेगा और स्टेण्ड के ताला लगा दिया जावेगा।
7. लाईसेंसी स्वंय के खर्च पर संबंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वंय भुगतान वहन करेगा। अनुबंध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन बन्द करने लिए सूचित करेगा।
8. आंवटित पार्किंग स्टेण्ड खाली स्थान पर लाईसेसी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।
9. लाईसेसी अपना व्यवसाय आंवटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

10. लाईसेसी खड़े किये जाने वाले वाहनों की किराया सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर पार्किंग रथल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सकें। लाईसेसी आंचित पार्किंग रथल में किसी गरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
11. निगम द्वारा लाईसेसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
12. यदि लाईरोसधारी रवंय अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम रो कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. पार्किंग स्टेण्ड का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
14. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णयिक होगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी हैं एंव उनको ही एकल पंच निर्णयिक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णयिक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य रथल जयपुर होगा।
15. लाईसेसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि रागायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेसी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईरोसा दे दिया जावेगा।
16. लाईसेसी द्वारा निगम से समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेसी रवंय जिमोदार होगा।
17. पार्किंग रथल पर खड़े करवाये गये वाहनों की रुरक्षा की जिममेदारी लाईसेसी की होगी।
18. लाईसेसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेसी द्वारा सीधे ही संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।
19. यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटी का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फार्म को जारी कर सकेगा। लाईरोसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

20. यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदा दाता को लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबंधक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।
 1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वंय के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गांरटर की चल एंव अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
 2. निविदादाता के नाम पते के दरतावेज की प्रमाणित प्रति । (पुष्टि में गतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति) ।
21. निविदा प्रारूप सील बंद लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें ।
22. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट ना हो । प्रस्ताव पर संरथान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें ।
23. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगे ।
24. यदि किसी भी संरथान /व्यक्ति /फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया /विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।
25. देय मारिक लाइसेंस फीस पर सेवा कर में 18 प्रतिशत अतिरिक्त लाइसेंसी द्वारा निगम को को भुगतान करने होगा ।
26. संलग्न धोधणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।
27. मैंने उपरोक्त शर्तों की पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं । उक्त शर्त मुझे स्वीकार है ।
28. लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस निगम कोष में जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/- अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो दर से शास्ती जमा करानी होगी की फिर भी लाईसेंसी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक अनादरण होने की स्थिति में लाईसेंस धारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम—

पिता का नाम—

पता—

मोबाईल नं०—

मुख्य प्रबंधक,
कोटा आगार ।